



## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SAGAR), मध्यप्रदेश

द्रव्याषः-

फैक्सः:

ई-मेलः

क्रमांकः - 11066290  
प्रति,

दिनांकः - 18/04/2012

प्रबंधक,  
(DELHI PUBLIC SCHOOL, SAGAR)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (6) के अधीन स्कूल के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 16/02/2012 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र द्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -DELHI PUBLIC SCHOOL, SAGAR, DELHI PUBLIC SCHOOL, KHURAI ROAD, PATHARIYA HAT ROAD, SAGAR को कक्षा पहली से कक्षा सातवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2012 से 31/03/2013 तक की कालावधि के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति विस्तारित शर्तों की पूर्ति के अधारधीन होगी।

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विकसित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ास की सीमा के बंचित सम्मुख तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सम्भवता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके बावजूक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पद्धतीस प्रतिशत के अधीन होगा वशतः कि जहाँ स्कूल पर्व स्कूल (पि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध पि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- धरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल का अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बँक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संयह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं उपलब्ध कराना।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
  - (क) अस्यु के सदूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को जारीरिक या भानसिक रूप से प्रताङ्कित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्ति निश्चिह्न आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निःशक्ति निश्चिह्न आवश्यकता वाले बालकों की शर्तों की जाएगी; वशतः कि वर्तमान में कार्यपत्र जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निःशक्ति न्यूनतम अहंता प्राप्त करनी होगी;
  - शिक्षकों का अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवर्त टौरिंग की गतिविधियाँ भी शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगी/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बढ़वाँ का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धरा 19 में विनियोग स्कूल के मानक एवं सापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई जायें।

	सुविधाएं	पोटल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	217800	217800
10	स्कूल का नियन्त्रित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	23000	23000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	150000	150000

	अधीसंरचना का विवरण		पोटल में दर्जे	वास्तविक स्थिति		
	कक्ष	Rooms as per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्ष आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्ष कक्ष		10	525	10	525
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		3	1500	3	1500
3	श्रीजनालय-सह-भण्डार		1	500	1	500

	अन्य सुविधाएं	पोटल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहत है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	200	200
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	4	4
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	2	2
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	6	6
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	6	6
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अन्तिम सूरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर...11066290... एवं डाइसकोड (DISE) 23111001406 है। इस कार्यालय के साथ पञ्चाचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के एसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की विरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपार्द्ध "तीन" के अनुसार होंगी।
- आधिनियम एवं नियम के उपर्यांती और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता बापस ले ली जाएगी।

*[Signature]*  
भवदोत्तम  
जिला शिक्षा अधिकारी

जिला SAGAR

मध्यप्रदेश